

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।  
पत्रांक-1938/अधि0/दो-29/2024-25

दिनांक 05 जुलाई, 2024

कार्यालयादेश

कार्यालयादेश संख्या-1178/अधि0/दो-29/2024-25 दिनांक 22.04.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23(3) में विहित व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु परिवहन विभाग के प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची संलग्न कर एतद्वारा प्रकाशित तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी हैं।


2. वर्तमान में कतिपय संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नतियों होने के दृष्टिगत उक्त संवर्गों की पात्रता, उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की संशोधित सूची प्रकाशित की जाती है।

(सनत कुमार सिंह)  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

संख्या:- (1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तराखण्ड।
3. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तराखण्ड।
4. श्री लोकेश ध्यानी, डी0बी0ए0, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
5. अधिष्ठान पत्रावली।
6. गार्ड फाईल।

  
(सनत कुमार सिंह)  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।